उत्तर प्रदेश शासन
गृह (पुलिस) अनुभाग–9
संख्या–1504 / छः–पु0–9–19–20(10)(9) / 89टी0सी0
लखनऊः दिनांकः 28मई, 2019

अधिसूचना
(शक्ति)

दण्ड प्रक्रिया संहिता,1973 (अधिनियम सं0–2, सन् 1974) की धारा–21 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय, व्यावसायिक परीक्षा परिषद उ0प्र0 द्वारा संचालित 109वीं अखिल भारतीय शिशिक्षु परीक्षा–2019 के समस्त केन्द्रों के अधीक्षकों को दिनांक 29.05.2019 से 14.06.2019तक के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त करते हैं, जो विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में ज्ञात होंगे और उन्हें संबंधित केन्द्र जिसके वे अधीक्षक हैं, की सीमा के भीतर क्षेत्रों के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट की ऐसी सभी शक्तियां प्रदान करते हैं, जो उक्त संहिता के अधीन ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट को प्रदान की जा सकती हैं।

भगवान स्वरूप
सचिव।

संख्या–1504(1) / छः–पु0–9–19–20(10)(9) / 89टी0सी0, तद्दिनांक–

प्रतिलिपि अंग्रेजी अनुवाद की प्रतिलिपि सहित निदेशक, राजकीय मुद्रणालय इलहाबाद को गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग–4, खण्ड–'ख' में प्रकाशनार्थ प्रेषित। कृपया अधिसूचना की मुद्रित 10 गजट प्रतियॉ शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से

सुनील कुमार पाण्डेय
संयुक्त सचिव।

संख्या–1504(2) / छः–पु0–9–19–20(10)(9) / 89टी0सी0, तद्दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ।
(2) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(3) **जिला मजिस्ट्रेट**–आगरा, मथुरा, बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़, सहारनपुर, नोएडा (गौतमबुद्वनगर),मेरठ, गाजियाबाद, लखनऊ, फैजाबाद, गोण्डा, कानपुरनगर, झॉसी, बांदा, प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, आजमगढ़, बस्ती एवं गोरखपुर।
(4) सचिव, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को उनके अर्द्धशा0 पत्र संख्या–9179 / एस0सी0वी0टी0 / मई–2019 / ईएक्स–005, दिनांक 15.05.2019 के संदर्भ में।
(5) अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(6) समस्त केन्द्र अधीक्षक **(द्वारा–व्यावसायिक परीक्षा परिषद, उ0प्र0, अलीगंज, लखनऊ)।**
(7) व्यावसायिक शिक्षा अनुभाग–4 / गोपन अनुभाग–2
(8) **प्रभारी, गृह नियंत्रण कक्ष को आनलाइन निर्गमन हेतु।**
(9) गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से

(सुनील कुमार पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

E:\Data Police-9\Pramod Rai R O\Notification DRAFT 7921